**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. 275**

**07 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0**

†*275. **श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

**(**क) क्या सरकार का शहरी गरीबों के लिए आवास संबंधी सहायता बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**(**ख) वंचित परिवारों की आवास संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए पीएमएवाई- यू 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित अतिरिक्त प्रोत्साहन और लाभ क्या हैं;

**(**ग) उक्त योजना के प्रथम चरण में, विशेषकर सांगली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, शहरी लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

**(**घ) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवास संबंधी परियोजनाओं की समय पर आपूर्ति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

**(**ङ) सरकार द्वारा पीएमएवाई-यू के नए चरण के अंतर्गत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्री**

**(श्री मनोहर लाल)**

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0" के संबंध में दिनांक 07-08-2025 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 275 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसम में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से सहायता देने के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। इस योजना के बीएलसी, एएचपी और एआरएच घटकों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। आईएसएस घटक को केंद्रीय नोडल एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत आवासों की खरीद/निर्माण के लिए आवश्यक निधि केंद्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/शहरी स्थानीय निकाय/कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों के बीच साझा की जाती है। राज्यों के हिस्से को निर्धारित किया गया है और साथ ही राज्यों को संभावित लाभार्थियों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने हेतु अपना हिस्सा बढ़ाने हेतु लचीला बनाकर इसे अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न घटकों के अंतर्गत एक निश्चित राशि की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, केंद्रीय सहायता और राज्य का हिस्सा अनुलग्नक-I में दर्शाया गया है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत विधवाओं, अकेली महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर एवं असुरक्षित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। पीएमएवाई-यू 2.0 के संचालन के दौरान सफाई कर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए पथ-विक्रेताओं, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विभिन्न कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों, स्लम्स/चॉलों के निवासियों और अन्य समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) का पुनर्गठन किया है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों आदि से लिए गए आवास ऋण पर गारंटी प्रदान करके पात्र परिवारों हेतु ऋण उपलब्धता और पात्रता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी के पीएमएवाई-यू 2.0 के पात्र लाभार्थियों को वित्तीय संस्थाओं से किफायती आवास ऋण दिलवाकर समय पर उनका आवास पूरा करने में सहायता प्रदान करना भी है, जिससे कार्यक्रम के उद्देश्यों में प्रत्यक्ष योगदान प्राप्त होगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से पीएमएवाई-यू 2.0 के लाभार्थियों को आवास ऋण को सुविधाजनक बनाने की अपेक्षा की जाती है।

(ग) एवं (घ) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य तथा महाराष्ट्र के सांगली संसदीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं पूरे किए जा चुके आवासों के साथ-साथ स्वीकृत एवं जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

आवासों/परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा राज्य-दर-राज्य अलग-अलग होती है और योजना के विभिन्न घटकों में और संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के अनुसार, इसमें आमतौर पर 12-36 महीने लगते हैं। आवासों के पूरा होने की समय-सीमा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें भार-मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए सांविधिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधि की व्यवस्था आदि शामिल है। मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा करता है।

(ङ) पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजना है और इसके लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता का आकलन करते हैं, पात्रता मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों का चयन करते हैं और आवास परियोजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। मांग सर्वेक्षण और लाभार्थियों के चयन के आधार पर, परियोजना प्रस्ताव राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा तैयार और अनुमोदित किए जाते हैं, ताकि केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केंद्रीय सहायता जारी करने पर आगे विचार किया जा सके। संभावित लाभार्थी https://pmay-urban.gov.in पर उपलब्ध एकीकृत वेब-पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं ।

******

दिनांक 07-08-2025 के लोक-सभा तारांकित प्रश्न संख्या 275 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

भारत सरकार द्वारा विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रदान की गई केंद्रीय सहायता की राशि और अनिवार्य राज्य हिस्से का विवरण

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | पीएमएवाई-यू 2.0 घटक | | |
|---|---|---|---|---|
| | | बीएलसी और एएचपी | एआरएच | आईएसएस |
| 1. | पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र (असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र) | केंद्र सरकार. - 2.25 लाख रु. प्रति यूनिट<br>राज्य सरकार - न्यूनतम 0.25 लाख रु. प्रति यूनिट | प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान<br>भारत सरकार : ₹3,000/वर्गमीटर प्रति यूनिट<br>राज्य का हिस्सा: ₹2,000/वर्गमीटर प्रति इकाई | गृह ऋण सब्सिडी - केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रति यूनिट 1.80 लाख रु. (वास्तविक रूप से जारी) तक |
| 2. | विधानमंडल रहित सभी संघ राज्य क्षेत्र | केंद्र सरकार. - 2.50 लाख रु. प्रति यूनिट | | |
| 3. | अन्य सभी राज्य | केंद्र सरकार. - 1.50 लाख रु. प्रति यूनिट<br>राज्य सरकार - न्यूनतम 1.00 लाख रु. प्रति यूनिट | | |

******

दिनांक 07-08-2025 के लोक-सभा तारांकित प्रश्न संख्या 275 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य और सांगली संसदीय क्षेत्र, महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए जा चुके आवासों के साथ-साथ स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण

| क्र. सं. | विवरण | महाराष्ट्र | सांगली<br>निर्वाचन क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | स्वीकृत आवास (संख्या) | 12,49,047 | 8,960 |
| 2 | निर्माणाधीन आवास<br>(संख्या) | 11,49,437 | 8,716 |
| 3 | पूर्ण किए गए आवास<br>(संख्या) | 9,93,361 | 7,970 |
| 4 | स्वीकृत केंद्रीय सहायता<br>(करोड़ रु. में) | 23,815.27 | 178.92 |
| 5 | जारी की गई केंद्रीय सहायता<br>(करोड़ रु. में) | 19,636.93 | 160.67 |

******